कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ
तृतीय तल, ऑडिट भवन, टी.सी.- 35 – V-1, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ- 226010 (उत्तरप्रदेश)

कार्यालय आदेश संख्या : 01 / 2024-25

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ने अपने कार्यालय आदेश संख्या प्र.म.ले. (लेखा परीक्षा-प्रथम/कल्याण/समयावधि छूट/2023-24/99 दिनांक 21.03.2024 द्वारा कार्यालय के खिलाड़ियों को **Time Concession** देने के सम्बंध में आदेश निर्गत है। इस क्रम में **New Sports Policy for promoting Sports in IA&AD** के अनुसार **CAGs Team** के **Cricket, Football, Hockey, Table Tennis & Badminton (for Carrom players 03:00** बजे) के खिलाडियों को कार्यालय में उनके कार्य दिवस के दौरान प्रतिदिन 2:00 बजे के बाद एवं **AGs Team** के **Cricket, Football, Hockey, Table Tennis & Badminton (for Carrom players 04:00** बजे) के खिलाडियों को प्रतिदिन 3:00 बजे के बाद निम्न शर्तों के अधीन समय में छूट प्रदान किए जाने का प्रावधान किया है-

1. वर्ष 2010 से खेल कोटे से भर्ती खिलाडियों को प्रतिदिन अभ्यास हेतु तथा वर्ष2010 से पूर्व खेल कोटे से भर्ती खिलाड़ियों को कार्यालय की टीम से खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु प्रतियोगिता प्रारम्भ होने के 30 दिन पूर्व अभ्यास हेतु समय छूट प्रदान की जा सकती है।

2. खेल अभ्यास हेतु समय छूट (02:00, 03:00, 04:00 P.M.) लेने वाले खिलाड़ियों को अपने अभ्यास / फिटनेस स्थल की लिखित जानकारी कार्यालय को प्रदान करना अनिवार्य है। यदि अभ्यास / फिटनेस स्थल में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी जानकारी तत्काल कार्यालय को दी जानी चाहिए।

3. सभी सम्बंधित खिलाड़ियों को किसी अनुभवी खिलाड़ी (कार्यालय द्वारा नामित) के पर्यवेक्षण में निर्धारित अभ्यास स्थल पर अभ्यास करना है। कार्यालय द्वारा नामित अभ्यास पर्यवेक्षक को खिलाड़ियों की उपस्थिति तथा फिटनेस की मासिक रिपार्ट वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) को प्रस्तुत करनी होगी। यदि कार्यालय में इस प्रकार का कोई अनुभवी खिलाड़ी उपस्थित नहीं है तो AG's Team के किसी अनुभवी खिलाड़ी को पर्यवेक्षण हेतु नामित किया जा सकता है।

4. कार्यालय के वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) द्वारा खिलाडियों द्वारा निर्धारित अभ्यास स्थल पर किये जा रहे खेल अभ्यास का औचक निरीक्षण किया जायेगा। यदि कोई खिलाडी बिना पूर्व सूचना के अभ्यास स्थल से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसका समय छूट निरस्त कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण न करने वाले खिलाडियों को समय में छूट अनुमन्य नहीं होगी।

Signed by Tummalapalli
Manohar Rao
Date: 04-04-2024 17:08:53
उप निदेशक (प्रशासन)

संख्या प्र.नि.ले.प.(के.)/प्रशासन/खेल-कूद संबंधी/ दिनांक: 04-04-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव (प्रधान निदेशक), कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ
2. उप निदेशक प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / नियंत्रण / प्रतिवेदन / सम्पादन / सामान्य प्रशासन /ITA / पी.सी.
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन, शाखा कार्यालय, प्रयागराज
5. संबन्धित अधिकारी / कर्मचारी
6. सूचना पट्ट

Signed by Rajesh Kumar Swyambhu
Date: 04-04-2024 17:38:35

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन